

31/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया व स्वयं वादीया हाजिर
नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने पर भी नौ तो वकील वादीया हाजिर
और ना ही वादीया स्वयं हाजिर। अतः दावा घोषणा
अर्थात् निवेद्याना को अदमा हाजरी अदमा पैरवी
में खारीज किया जाता है। पत्रावली मैलल
शुमार होकर नम्बर ले कम व दाखील दफ्त
है।

Handwritten signature
उपखण्ड अभियंता
उदयपुरवादी (उदयपुर)